Forest Local Form No. 26

वन विभाग के कार्य हेतु प्रतिज्ञा-पत्र

डिवीजन

यह प्रतिज्ञा--पत्र, जो आज माह सन् ई0 राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से आफिसर इन्चार्ज महोदय (जो इसके पश्चात् वनाधिपति लिखे जायेंगे) प्रथम पक्ष और श्री पुत्र ग्राम पट्टी जिला (जोकि इसके पश्चात् ठेकेदार के नाम से लिखे जायेंगे) द्वितीय पक्ष के मध्य में लिखा गया है, निम्नलिखित कार्य के सम्बन्ध में घोषणा की जाती है :--

1--ठेकेदार इस प्रतिज्ञा-पत्र के लिखे जाने की तिथि से माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित कार्य, जोकि संलग्न सूची (Schedule) में (जिस पर कि दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं) उल्लिखित नियमों तथा आदेशों के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करेगा।

कार्यों का उल्लेख

2-- वनाधिपति महोदय ठेकेदार की सूची में दर्शाए गए भाव के अनुसार सम्पूर्ण कार्यों में होने वाले व्यय का बिना विलम्ब के भुगतान करने की प्रतिज्ञा करते हैं, परन्तु----

(क) जब तक कि कार्य पूर्णरूप से समाप्त न हो गया हो और वनाधिपति महोदय उक्त कार्य स्वीकृति न कर लेवें तब तक वे किसी का अन्तिम भुगतान नहीं करेंगे।

(ख) अन्तिम भुगतान के समय कार्य यदि संतोषजनक न हुआ हो तो उसके हेतु जितनी धनराशि उचित समझें न्यून भुगतान करेंगे।

3--ठेकेदार को अग्रिम धनराशि प्राप्त करने का अधिकार न होगा, जिसका भुगतान करना अथवा न करना वनाधिपति महोदय की इच्छा पर निर्भर होगा।

4--ठेकेदार कार्य करने के वास्ते "उत्तर" पाने का अधिकारी न होगा।

5--ठेकेदार अपना ठेका या अधिकार वनाधिपति की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित न कर सकेगा।

6-- इस प्रतिज्ञा-पत्र के नियमों व वाक्य-खंडो के अन्तर्गत ठेकेदार उसके प्रतिनिधि व कर्मचारी किसी फौजदारी कार्यवाही से सम्बन्धित अथवा किसी नियम या प्रतिज्ञाओं के उल्लंघन करने से, जो उससे अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा किए जायं, मुक्त नहीं हो सकेंगे।

7-- इस प्रतिज्ञा-पत्र के नियमों व प्रतिज्ञाओं के अन्तर्गत ठेकेदार, उसके प्रतिनिधि व कर्मचारी को अधिकार नहीं हैं कि वे किसी राजकीय व प्रजा की सम्पत्ति पर हस्तक्षेप अथवा किसी प्रकार की क्षति करे, यदि कहीं उक्त प्रकार की क्षति पाई जाय तो वनाथिपति महोदय को ठेकेदार के हिसाब से जो उसको देना हो, धनराशि काटकर उस पक्ष को देने का अधिकार प्राप्त होगा, जिसकी क्षति हुई हो और उक्त धनराशि ठेकेदार की ओर से भुगतान की हुई समझी जावेगी और इस क्षतिपूर्ति के वास्ते ठेकेदार का अधिकार नहीं समझा जायगा।

8--ठेकेदार इस प्रतिज्ञा-पत्र में दर्शाए गए किसी शर्त या प्रतिज्ञा का पूर्णरूप से अपने प्रतिनिध व कर्मचारियों द्वारा पालन कराने का उत्तरदायी रहेगा।

9--ठेकेदार वनाधिपति महोदय के पास अपने प्रतिनिधि व अन्य कर्मचारियों के नाम, जिनको कार्य के निमित्त अथवा इस सम्बन्ध में नियुक्त करें, लिखित रूप में देगा और फारेस्ट आफिसर महोदय को यह अधिकार प्राप्त होगा कि इनमें से किसी व्यक्ति को कर्मचारी इस कार्य में नियुक्त करने के लिए अस्वीकार कर देवे।

10-- कार्य की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् ठेकेदार की किसी प्रकार की अवशेष सामग्री व वस्तु राजकीय अधिकार में रख दी जायगी और ठेकेदार उसके वास्ते कोई क्षतिपूरक धन प्राप्त करने का अधिकारी न होगा।

11-- जिस प्रकार की वनाधिपति महोदय आदेश करें, ठेकेदार समस्त मलवा, मिट्टी इत्यादि की सफाई करेगा, उक्त आज्ञा पालन न होने पर उनको अधिकार होगा कि अन्तिम बिल में जिस रूप से चाहें, मूल्य काट लेवें।

12-- वनाधिपति महोदय ने ठेकेदार से ______________________ रु0 की धनराशि सुचाररुप से कार्य प्रारम्भ करने के निमित्त प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की हैं। यदि वह इस प्रतिज्ञा-पत्र के लिखने की ______________________ ______________________ दिवस की अवधि के भीतर सुचारु या पूर्णरूप से कार्य न करें तो वनाधिपति महोदय ______________________ को इसके निर्णय करने का अधिकार होगा कि वे इस प्रतिज्ञा-पत्र को रद्द कर देने और प्रतिभूति को अपहरण कर लेवें और ठेकेदार को किसी क्षतिपूरक धन-प्राप्त करने का अधिकार न होगा।

उक्त प्रतिभूति तब वापिस होगी जब वनाधिपति महोदय भलीभांति सन्तुष्ट हो जायं कि ठेकेदार का कार्य सुचारूरूप से प्रारम्भ हो चुका हैं।

इस प्रतिज्ञा-पत्र के नियमों व प्रतिज्ञाओं में से यदि किसी प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ हो अथवा यदि संलग्न सूची में उल्लिखित प्रतिज्ञ ाओं का उल्लंघन हुआ हो या ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् अच्छे ढंग से कार्य की प्रगति न रक्खे या फारेस्ट आफीसर (वनाधिपति महोदय के निर्णयानुसार कार्य सन्तोषजनक नहीं, वनाधिपति महोदय को अधिकार होगा कि वे कार्य-प्रगति रोक देवें और उक्त प्रतिज्ञा-पत्र को रद्द कर देवें और ऐसी कार्यवाही के कारण ठेकेदार न तो उक्त सम्बन्ध में किसी प्रकार का मूल्य प्राप्त करने की यानी जिस मात्रा में अथवा जिस सीमा तक कार्य हो चुका है व न किसी अन्य सम्बन्धित व्यय को जो कि उक्त कार्य में लग गया हो , क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होगा।

इसके अतिरिक्त समस्त किए गए कार्य एकत्रित व संचित सामग्री व वस्तुयें या जिनके एकत्रित करने का प्रबन्ध ठेकेदार, उसके प्रतिनिधि व कर्मचारियों द्वारा हो रहा हो वह सब राजकीय सम्पत्ति समझी जायेगी और ठेकेदार का भविष्य में उन पर अथवा उनको प्राप्त करने का कोई अधिकार न होगा।

वनाधिपति महोदय को इस ठेके से सम्बन्धित सभी विषयों में अपना अन्तिम निर्णय देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा, प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रतिज्ञा-पत्र के विषय में या किसी नियम का वाक्यखंड या उसके अन्तर्गत अन्य विषयों के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो वह श्रीमन् कन्जरवेटर महोदय के निर्णयार्थ सौंपा जायेगा, जो इस विवाद के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णायक होंगे।

टिकटों का मूल्य, यदि उनकी आवश्यकता पड़े, इसका भुगतान राज्यपाल महोदय करेंगे।

इस प्रतिज्ञा-पत्र के सम्बन्ध में साक्षी होकर वनाधिपति महोदय______________________

डिवीजन, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से और ______________________

ठेकेदार ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये।

दिनांक माह सन् ई0

कन्जरवेटर

उत्तर प्रदेश

ठेकेदार ______________________

साक्षी ______________________ साक्षी ______________________

साक्षी ______________________ साक्षी ______________________

पी0एस0यू0पी0--एल0 01 अरण्य0 (546) --1977--35,000।